

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण II/किगारानी/रीवा/भू.सं/2018/2069

~~मकेश माशिव काकि~~
द्वारा आज दि. 28.3.18
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 4-4-18 नियत।

~~क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर~~

1. सीताराम पुत्र केमलाराम ब्रा.
सालिकराम पुत्र केमलाराम ब्रा.
दोनों निवासी ग्राम ढढनी तहसील मऊगंज
जिला रीवा (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरुद्ध

1. राजबहोर पुत्र रामवतार साहू
2. मुस. रमदेइया बेबा रामवतार साहू
दोनों निवासीगण ग्राम ढढनी तहसील
मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

~~मकेश माशिव~~
28-3-18 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज जिला रीवा द्वारा प्र.
कं. 168ए-74/15-16 में पारित आदेश दिनांक 13.3.18 के
विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत
पुनरीक्षण।

~~मकेश माशिव~~

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक D/R/शिवनभूरा/18/2069, सीताराम शिवाजी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28/12/18	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>शुक्ल भागी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>मरुगंज</u> के प्रकरण क्रमांक <u>168/A-74/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>13/3/18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/19</u> को कलेक्टर जिला <u>सीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right"><u>सदस्य</u></p>	